**संख्या-11/2026/2280-42-01099-91-2022**

**प्रेषक,**

**कुमार विनीत,**
**विशेष सचिव,**
**उत्तर प्रदेश शासन।**

**सेवा में,**

**निदेशक,**
**खेल,**
**उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**

**खेल अनुभाग** **लखनऊ : दिनांक 29 सितम्बर, 2026**

**विषय:- गुरु गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ को वित्तीय वर्ष-2026-27 में प्राविधानित बजट व्यवस्था के सापेक्ष 20- सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद से द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।**

**महोदय,**

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-I/777234/2026/रा0प्रा0प्र0प0/2026-27, दिनांक 11.09.2026 एवं शासनादेश संख्या-2026/001-1083422026, दिनांक 29-05-2026 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में गुरु गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ हेतु 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि रू० 700.00 लाख (रू० सात करोड़ मात्र) के सापेक्ष शासनादेश दिनांक 29.05.2026 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में रू० 175.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। तदुपरान्त गुरु गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ हेतु 20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि में से द्वितीय किश्त के रूप में धनराशि रू० 1,75,00,000/- (रुपये एक करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

**<u>नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों</u>**

(1) स्वीकृत धनराशि का उपयोग निर्धारित मदों में सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किया जाएगा।

(2) धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार किया जाएगा तथा इसे आहरित कर किसी बैंक/पोस्ट ऑफिस में नहीं रखा जाएगा।

(3) बजट प्रावधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, खेल का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्रावधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में दिये गये निर्देशों, सुसंगत वित्तीय नियमों एवं समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(5) निदेशक, खेल यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(6) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(7) निदेशक, खेल द्वारा योजना हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत स्वीकृति निदेशक, खेल द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि बजट के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पाई जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, खेल का होगा।

(9) उक्त स्वीकृत धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) उक्त स्वीकृत धनराशि से किसी भी अनानुमोदित मद/मदों पर व्यय न किया जाय। अनुदान का बिल सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

(11) उक्त धनराशि से संबंधित व्यय के उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के पैरा 369 एच के अनुसार शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाये। इस अनुदान का लेखा सम्परीक्षा कराकर आडिट रिपोर्ट भी शासन को तत्समय उपलब्ध करा दी जाये।

(12) उक्त स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत शासन द्वारा वित्त विभाग की सहमति से स्वीकृत वाहन/ पी०ओ०एल० आदि के संबंध में शासनादेश संख्या 315/दस-सं०-वि०वि०-2/97, दिनांक 19-03-1997 के निर्देशानुसार व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय पूर्व वर्षों की देनदारियों पर नहीं किया जायेगा।

(14) स्वीकृत की जा रही धनराशि का बिल निदेशक, खेल द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करके धनराशि कोषागार से आहरित की जायेगी तथा सचिव, प्रबन्ध समिति, उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कालेजेज सोसाइटी, लखनऊ के माध्यम से व्यय हेतु प्रधानाचार्य, गुरु गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ के निवर्तन पर रखी जायेगी।

(15) स्वीकृत धनराशि को नियमानुसार आहरित किया जायेगा। स्वीकृत अनुदान पर वित्तीय नियम संग्रह खण्ड- 5 भाग-1 के अध्याय-16 में दिये गये अद्यावधिक नियम भी लागू होंगे। इस अनुदान का उपयोगिता प्रमाण-पत्र बी० एम०-13 प्रपत्र शासन एवं महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज को यथासमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(16) स्वीकृत धनराशि का आवश्यकतानुसार मदवार फोर्ट बनाया जाना सुनिश्चित करेंगे एवं राज्य सरकार द्वारा दिये जा रहे अनुदान से प्रतिबद्ध मदों का व्यय वहन करने के पश्चात ही मितव्ययी मदों में उपयोग किया जायेगा।

(17) निदेशक, खेल/सचिव, प्रबन्ध समिति, उ०प्र० स्पोर्ट्स कालेजेज सोसाइटी, लखनऊ द्वारा प्रश्नगत मानक मद में अगली किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने से पूर्व सहायता नियमावली यथाशीघ्र नियमानुसार प्रख्यापित कराये जाने की कार्यवाही पूर्ण करा ली जायेगी।

(18) गुरु गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ द्वारा स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि की आडिट रिपोर्ट में की गयी आपत्तियों की निराकरण आख्या शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,75,00,000 (रुपये एक करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में **अनुदान संख्या 022 लेखा शीर्षक 2204001042302 स्पोर्ट्स कालेज लखनऊ को अनुदान मानक मद 20 सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-5-85-X-2026-27-दिनांक:25-9-2026 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

**भवदीय,**
**(कुमार विनीत)**
**विशेष सचिव।**

**<u>संख्या-11/2026/2280-42-01099-91-, तद् दिनांक।</u>**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3- महालेखाकार (आडिट) उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
4- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ०प्र० प्रयागराज।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- सचिव, प्रबन्ध समिति, उत्तर प्रदेश स्पोर्ट्स कालेजेज सोसाइटी, लखनऊ।
7- प्रधानाचार्य, गुरु गोविन्द सिंह स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2, उ०प्र० शासन।
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5, उ०प्र० शासन।
10- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

**आज्ञा से,**
**कुमार विनीत**
**विशेष सचिव।**

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in